OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE (NORTH-WEST) ROHINI COURTS, DELHI

PUBLIC NOTICE

Sealed quotations are invited from interested parties / contractors to offer their rates towards the purchase of **waste paper**, old newspapers, magazine, raddi etc. from Rohini Court Complex, Delhi. Quotations in sealed envelope should be put in latest by 03:00 p.m. on <u>07.10.2024</u> in the sealed box placed in the Care Taking Branch, Porta Cabin No. 5D, 5th Floor, Main Court Building, Rohini Court Complex, Delhi quoting per kg. rate towards purchase of waste paper, newspapers, magazine, raddi etc. as mentioned above.

The applicants would be required to attach a Demand Draft / Pay Order of Rs.5000/-(Rupees Five Thousand Only) (refundable) in favour of "*Principal District & Sessions Judge* (North-West), Rohini Courts, Delhi" alongwith their quotation and in absence thereof, the quotation shall not be considered. The Demand Draft / Pay Order will be returned back to unsuccessful applicants immediately and to the successful applicant, after depositing the security amount. The contract shall be awarded for two years starting from the day of execution of agreement.

In this regard, terms & conditions and any other information can be obtained from Care Taking Branch, Porta Cabin No. 5D, 5th Floor, Main Court Building, Rohini Court Complex, Delhi and can also be viewed / checked on official website <u>www.delhidistrictcourts.nic.in</u>.

Sealed quotations will be opened on <u>08.10.2024</u> at 04:00 p.m. in <u>Conference Hall, 5th</u> <u>Floor, Main Court Building, Rohini Court Complex, Delhi.</u>

2024

(DEEPAK DABA'S) Chairman, Condemnation Board, O/o The Principal District & Sessions Judge(s) (North West & North District), Rohini Courts, Delhi

TERMS & CONDITIONS IN RESPECT OF SALE OF WASTE / OLD NEWSPAPER, MAGAZINE, RADDI ETC. FROM ROHINI COURT COMPLEX, DELHI

- 1. That the contractor shall remove all the waste old newspapers, magazine, raddi etc. from Rohini Court Complex, Delhi immediately after the call from the office, both by verbal or written.
- 2. That the contractor shall make his own arrangements for bags, boxes, vehicles and labour etc. that may be required for such removal.
- 3. That that contractor shall get the weight of the waste material newspapers, magazine, raddi etc. from the Government authorized DHARAMKANTA in presence of the official of Care Taking Branch, Rohini Court Complex and deposit the full amount as per the rate, in the Care Taking Branch, Porta Cabin No. 5D, 5th Floor, Main Court Building, Rohini Court Complex, Delhi. The expenditure about the weighing will be borne by the contractor. The Care Taking Branch shall deposit the amount received from the contractor in lieu of sale of waste / old newspapers, raddi etc. in the Cash Branch (North-West), Rohini Courts, Delhi.
- 4. That the contractor will give an undertaking that he will use the waste paper for recycling purpose only.
- 5. That on default to pay the amount, the contractor shall pay penalty of Rs.500/- (Rupees Five Hundred Only) per day, in cash.
- 6. That in the absence of the lifting / removal of the waste / old newspapers, magazine, raddi etc. from Rohini Court Complex by the contractor, the labour charge i.e. Rs.1000/- for that day will be charged by the Care Taking Branch, Rohini Court Complex from the contractor and concerned office shall have the right to clear the waste / old newspapers, magazine, raddi etc. at the risk / cost of the contractor.
- 7. That all bags, boxes, trolleys, vehicles, labour etc. required to remove the waste newspapers, magazine, raddi etc. from Rohini Court Complex shall be engaged by the contractor at his own cost & expenses and he will not be allowed to do sorting of waste in the premises of Rohini Court Complex, Delhi.
- 8. That the waste / old newspapers, magazine, raddi etc. from Rohini Court Complex shall be taken by the contractor on "as is where is basis"
- 9. That the contract is a rate contract and no guarantee can be given as to the quantity of waste
 * papers, which will be available during the period of contract.

- 10. That a security amount i.e. Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) shall be deposited by the contractor with the Care Taking Branch, Rohini Court Complex, Delhi for the due and faithful performance of all the obligations under the present contract.
- 11. That the security deposited by the Contractor will be interest free.
- 12. That in the event of the contractor committing breach of any terms or conditions of the contract, the office shall in addition to the other rights and powers, is empowered to cancel / terminate the contract forthwith by giving 15 days notice in writing to contractor and forfeit the sum of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) deposited as Security and shall in addition recover the loss occasioned by such breach. The security deposit will be returned to the contractor after completion of the contract as per rules and after settlement of all dues and outstanding amount, if any, against him.
- 13. That notwithstanding anything aforementioned, it shall be lawful for the office to terminate this contract at any time by giving one calender month notice in writing (with assigning any reason) to contractor, while the contractor shall be entitled to terminate this contract by giving two calender months' notice in writing to the office but not before expiry of four months period from issuance of contract.
- 14. That the contractor shall make the payment / penalty which will be imposed by the office for all damages which may be caused to any property of the office by any act / default of the contractor, his agents or servants.
- 15. That the contractor shall strictly abide by the security instructions / requirement (both written and verbal) communicated to him officially by this office during the terms of the Contract. The contractor will have to submit the identity proof / photograph of the agents / labourers appointed to take and remove the waste / waste paper / material. The cost of verification of antecedents of Contractor and its agents or labours shall be borne by the contractor himself and the same will be got verified by the Police concerned.
- 16. That the contractor shall not without the previous consent of this office assign or subject or let out any part of work of this contract or any part thereof or any right to payment thereunder, or associate or entrust any other person or persons with him for the purpose of performance thereof.
- 17. That all disputes, differences and questions arising out of or in any way touching or concerning this agreement or subject matter thereof or the representative rights, duties or liability of the parties shall be referred to the sole arbitration of the Ld. Principal District & Sessions Judge (North-West), Rohini Courts, Delhi or any other person nominated by him. The Arbitration shall be in accordance with The Arbitration and Conciliation Act 1996.

The arbitrator shall be entitled to enlarge the time of arbitration with consent of the parties. No part of the agreement shall be suspended on the ground of pending arbitration proceedings.

18.

This contract is awarded for Two years starting from the day of execution of the agreement and same may be extended after period of two years on the basis of performance of contractor subject to the approval of the Competent Authority / HOD.

19/9/2024 (DEEPAK DAB

Chairman, Condemnation Board, O/o The Principal District & Sessions Judge(s) (North West & North District), Rohini Courts, Delhi

28760 - 28781 No.______RC/CTB/2024

Dated 19 09 2024

Copy for information & necessary action to :-

- 1. PS to the Ld. Principal District & Sessions Judge(s) (North-West and North), Rohini Courts, Delhi.
- 2. The Incharge(s), Computer Branch of all the District Court Complexes in Delhi / New Delhi with the request to upload the Auction Notice alongwith Terms & Conditions on their respective website of District Court.
- 3. Branch Incharge(s), Care Taking Branch, Central, West, South, South-East, New Delhi, Shahdara, North-East, East, South-West, RACC, Delhi with the request to paste the auction notice on the notice boards of their respective court complex.
- 4. Incharge, Care Taking Branch, Rohini Courts, to take necessary arrangement for auction

Chairman, Condemnation Board, O/o The Principal District & Sessions Judge(s) (North West & North District), Rohini Courts, Delhi

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम), 🛩

सार्वजनिक सूचना

जिला न्यायालय रोहिणी परिसर, दिल्ली से बेकार कागज, पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी आदि की खरीद के लिए इच्छुक पार्टियों/ठेकेदारों से अपनी दरें प्रस्तावित करने के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

उपर्युक्त उल्लेखित बेकार कागज, पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी आदि की खरीद के लिए प्रति किलोग्राम के मूल्य का हवाला देते हुए निविदाएं सीलबंद लिफाफे में दिनांक 07.10.2024 को अपराहन 03:00 बजे तक देख रेख शाखा (Care Taking Branch), पोर्टी केबिन नंबर 5 डी, 5 वीं मंजिल, मुख्य न्यायालय भवन, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली में रखे सीलबंद बॉक्स में डाली जानी चाहिए।

आवेदकों को अपनी निविदा के साथ **"प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली**" के नाम पर देय रुपये 5000/- (रुपये पाँच हज़ार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट/पे ओर्डर (लौटाए जाने योग्य) संलग्न करना होगा तथा इसके अभाव में किसी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। असफल आवेदकों को डिमांड ड्राफ्ट/पे ओर्डर तुरंत वापस कर दिया जाएगा और सफल आवेदक को प्रतिभूति राशि जमा करवाने के बाद यह लौटा दिया जाएगा।

इस संबंध में नियम एवं शर्तें तथा अन्य कोई भी जानकारी देख रेख शाखा (Care Taking Branch), पोर्टा केबिन नंबर 5 डी, 5 वीं मंजिल, मुख्य न्यायालय भवन, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली से प्राप्त की जा सकती है तथा कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.delhidistrictcourts.nic.in पर भी देखी/जांची जा सकती है।

सीलबंद निविदाएं दिनांक 08.10.2024 को अपराहन 04:00 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, 5 वीं मंजिल,

मुख्य न्यायालय भवन, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली में खोली जाएंगी। तीपक डेखास 1919/2024

(दीपक डबास) अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद् कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी), जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली

रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली से बेकार कागज/पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी आदि की बिक्री के संबंध में नियम व शर्तें

- यह कि ठेकेदार कार्यालय से मौखिक या लिखित रूप से सूचना मिलने के तुरंत बाद जिला न्यायालय रोहिणी परिसर, दिल्ली से सभी बेकार कागज़ / पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी इत्यादि को हटा लेगा ।
- यह कि ठेकेदार को ऐसे सामान को हटाने के लिए आवश्यक बैग, बक्से, वाहन और श्रमिक आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- 3. यह कि ठेकेदार को देखरेख शाखा (Care Taking Branch), जिला न्यायालय रोहिणी परिसर के अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति में सरकार द्वारा अधिकृत धर्मकांटा से बेकार कागज़, समाचार पत्र, मैगजीन, रद्दी आदि का वजन करवाना होगा और दर के अनुसार पूरी राशि देख रेख शाखा (Care Taking Branch), पोर्टा केबिन नंबर 5 डी, 5 वीं मंजिल, मुख्य न्यायालय भवन, जिला न्यायालय रोहिणी परिसर, दिल्ली में जमा करानी होगी। वजन करने का व्यय ठेकेदार द्वारा स्वयं किया जाएगा। देखरेख शाखा (Care Taking Branch) को बेकार कागज़ / पुराने अखबार, रद्दी आदि की बदले ठेकेदार से प्राप्त धनराशि रोकड़ अनुभाग (Cash Branch) (उत्तर-पश्चिम), जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली में जमा करानी होगी।
- यह कि ठेकेदार को यह वचन-पत्र देना होगा कि वह रद्दी कागज का उपयोग केवल पुनर्चक्रण (Recycling) के लिए ही करेगा।
- यह कि राशि का भुगतान नहीं करने पर ठेकेदार को प्रतिदिन के हिसाब से 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) का जुर्माना नकद देना होगा।
- 6. यह कि ठेकेदार द्वारा जिला न्यायालय रोहिणी परिसर से बेकार कागज़ / पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी आदि को हटाने के अभाव में देखरेख शाखा, जिला न्यायालय रोहिणी परिसर, दिल्ली द्वारा उस दिन के लिए ठेकेदार से श्रमिक शुल्क जो रुपये 1000/- है लिया जाएगा तथा सम्बंधित कार्यालय को ठेकेदार के जोखिम / लागत पर अपशिष्ट / पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी आदि को हटाने का अधिकार होगा।
- 7. यह कि जिला न्यायालय रोहिणी परिसर से बेकार कागज़ / समाचार पत्र / पत्रिका, रद्दी आदि को हटाने के लिए आवश्यक सभी बैग, बक्से, ट्रॉली, वाहन, श्रमिक आदि को ठेकेदार द्वारा अपनी लागत और व्यय पर लगाए जाएंगे और उसे जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली के परिसर में रद्दी / कचरे की शॉर्टिंग / छंटाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 8. यह कि ठेकेदार द्वारा जिला न्यायालय रोहिणी परिसर से रद्दी/पुराने अखबार, पत्रिका, रद्दी आदि को "जैसा कै जहां है" के आधार पर लिया जाएगा।

- 9. कि यह अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) एक दर अनुबंध (रेट कॉन्ट्रैक्ट) है और अनुबंध की अवधि के दौरान उपलब्ध बेकार कागजों की मात्रा के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है।
- 10. यह कि ठेकेदार द्वारा वर्तमान अनुबंध के तहत सभी दायित्यों के उचित और विश्वसनीय निष्पादन के लिए रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की सुरक्षा राशि देखरेख शाखा, जिला न्यायालय, रोहिणी, में जमा कराई जाएगी।
- यह कि ठेकेदार द्वारा जमा की गयी सुरक्षा राशि (सिक्योरिटी) ब्याज मुक्त होगी।
- 12. यह कि ठेकेदार द्वारा अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के किन्हीं नियमों या शर्तों के उल्लंघन करने की स्थिति में कार्यालय को, अन्य अधिकारों और शक्तियों के अलावा, ठेकेदार को 15 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को तुरंत रद्द / समाप्त करने का अधिकार होगा और सुरक्षा राशि के रूप में जमा किये गए रुपये 10,000/- (दस हज़ार रुपये मात्र) को जब्त किया जाएगा तथा इसके अलावा इस तरह के उल्लंघन से हुए नुकसान की भरपाई भी की जायेगी। अनुबंध पूरा हो जाने के बाद जमा की गयी सुरक्षा राशि नियमानुसार और उसपर देय व बकाया राशि, यदि कोई है तो, आदि का निपटारा करने के बाद ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।
- 13. यह कि उपरोक्त किसी भी बात के बावजूद, कार्यालय के लिए यह वैध होगा की कार्यालय ठेकेदार को एक कैलेंडर माह की लिखित सूचना (बिना कोई कारण बताये) देकर किसी भी समय इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है, जबकि ठेकेदार कार्यालय को लिखत रूप में दो कैलेंडर महीने का नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त करने का हक़दार होगा, परन्तु अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) जारी होने से चार महीने की अवधी समाप्त होने से पहले नहीं।
- 14. यह कि ठेकेदार या उसके एजेंटों या नौकरों के किसी भी कार्य / चूक के परिणामस्वरूप कार्यालय की किसी भी सम्पति को होने वाले सभी नुकसानों के लिए ठेकेदार कार्यालय द्वारा लगाए गए भुगतान / जुर्माने की भरपाई करेगा।
- 15. यह कि ठेकेदार अनुबंध की अवधी के दौरान इस कार्यालय द्वारा आधिकारिक तौर पर उसे सूचित किये गए सुरक्षा निर्देशों / अपेक्षाओं (लिखित और मौखिक दोनों) का सख्ती से पालन करेगा। ठेकेदार को रद्दी / अपशिष्ट कागज़ / सामग्री लेने और हटाने के लिए नियुक्त एजेंटों / श्रमिकों की पहचान प्रमाण / फोटो जमा कराना होगा। ठेकेदार और उसके एजेंटों या श्रमिकों के पूर्ववृत (एंटीसीडेंट्स) के सत्यापन (वेरिफिकेशन) की लागत ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन की जायेगी और सम्बंधित पुलिस द्वारा उसका सत्यापन कराया जाएगा।
- 16. यह कि ठेकेदार इस कार्यालय की पूर्व सहमति के बिना इस अनुबंध के कार्य के किसी भाग या उसके किसी भी हिस्से या उसके तहत भुगतान के किसी भी अधिकार को किसी को नहीं सौंपेगा न ही अधीन करेगा और न ही भाड़े पर देगा, या उसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने साथ सम्बन्ध करेगा या न्यास को तौर पर सौंपेगा।

यह कि इस समझौते या इसके विषय वस्तु या पार्टियों के प्रतिनिधि अधिकारों, कर्तव्यों या दायित्व से सम्बंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों, मतभेदों और प्रश्नो को विद्वान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम), जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली या उनके द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति के एकमात्र विवाचन (आर्बिट्रेशन) के लिए भेजा जाएगा। यह विवाचन (आर्बिट्रेशन) "आर्बिट्रेशन कन्सीलिएशन एक्ट 1996" के अनुसार होगी। विवाचक (आर्बिट्रेटर) पक्षकारों की सहमति से आर्बिट्रेशन के समय को बढ़ाने का हकदार होगा। लंबित विवाचन कार्यवाही (पेंडिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग) के आधार पर समझौते का कोई भी हिस्सा निलंबित नहीं किया जाएगा।

18. यह अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) समझौते (एग्रीमेंट) के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) के दिन से शुरू होकर दो साल के लिए दिया जाता है और इसे ठेकेदार के प्रदर्शन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन दो साल के अवधि के बाद बढ़ाया जा सकता है।

पक डवास 1919/2024

(दीपक डबास) अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद् कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी), जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली

28738-28759 No._____RC/CTB/2024 Dated 19 09 /2024

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित :-

17.

- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली के व्यक्तिगत सचिव को सूचनार्थ।
- सभी जिला न्यायालय परिसरों में कंप्यूटर शाखा के प्रभारियों को इस अनुरोध के साथ कि जिला न्यायालय की अपनी अपनी वेबसाइट पर नियम एवं शर्तों के साथ नीलामी सूचना अपलोड करें।
- सभी जिला न्यायालय, दिल्ली स्थित प्रभारी, देखरेख शाखा को इस अनुरोध के साथ कि इस नोटिस, नियम और शर्तों को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाएं।
- 4. प्रभारी, देखरेख शाखा, जिला न्यायालय, रोहिणी को नीलामी प्रक्रिया हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के लिए।

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद् कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी), जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली

पिक उदास